क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में दिखाई देता है। अतः प्रः पत्र प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. (1) को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं. (1) अपने नोशनल शेयर से अधिक का बेचान न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)